108

कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सं0 5972/दस-185(1)शीरा-नीति/2006-07 इलाहाबाद:दिनांक:दिसम्बर 21, 2006

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं0-4544/दस-185(1)/शीरा-नीति/2005-06 दि0-10.11.05 के संदर्भ में, मैं गजेन्द्र पाल, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 की धारा-8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश सं0-4032ई-2/तेरह-06-74/2006 दि0-13.12.06 के कम में शीरा वर्ष 2006-07 के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के संबंध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ :-

1- शीरा वर्ष 2006-07 में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे के 10प्रतिशत अंश को प्रदेश के बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी । चीनी मिलों द्वारा उत्तरांचल राज्य में स्थित रासायनिक इकाईयों को विक्री किये गये शीरे की मात्रा को 10प्रतिशत अंश में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । शासनादेश सं0-1531ई-2/तेरह-2000-54/2000 दिनांक-7 जून, 2000 द्वारा मेसर्स छाता शुगर मिल, मथुरा द्वारा उत्पादित समस्त शीरे को वर्ष 2006-07 तक के लिए पूर्णतया नियंत्रणमुक्त घोषित किया गया है। अतः निर्यात की उक्त सीमा छाता शुगर मिल, मथुरा के सम्बंध में शासनादेश दि0-7.06.2000 की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होगी एवं उक्त शासनादेश दि0-7.6.2000 पूर्ववत लागू रहेगा ।

2- उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाईयों को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शासनादेश सं0-3646ई-2/तेरह-2006-227/2000 दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 के प्राविधानानुसार अविनियोजित उत्तर प्रदेश की भांति शीरा वर्ष 2006-07 में 35लाख कुन्टल शीरा उपलब्ध कराया जायेगा ।

3- प्रत्येक चीनी मिल में शीरा वर्ष 2006-07 में उत्पादित शीरे का 15प्रतिशत शीरा देशी मदिरा के लिये आरक्षित रहेगा तथा देशी मदिरा के उपभोग से अवशेष आरक्षित शीरा विदेशी मदिरा के लिए शीरा नियंत्रक द्वारा आवंटित किया जायेगा । आरक्षित शीरे का निस्तारण आरक्षित/अनारक्षित के मध्य 1:4 के अनुपात में किया जायेगा । ऐसी चीनी मिलें, जिनके द्वारा देशी मदिरा का निर्माण किया जाता है, उस सीमा तक इस आरक्षण से मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे देशी मदिरा के निर्माण के लिये अपनी स्वंय की चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का स्वंय उपभोग करेंगी ।

4- उत्तर प्रदेश की आसवनियों को अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात करने की अनुमति शासन के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी, जिसके लिए प्रशासनिक शुल्क की दर 15/-रूपये प्रति कुन्टल होगी । शीरा आयातक को भारत सरकार द्वारा आयात-निर्यात के सम्बंध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

5- शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर गत वर्ष की भांति प्रदेश के अंदर खपत के लिए, जिसमें उत्तरांचल राज्य को आपूर्ति किया जाने वाला शीरा सम्मिलित है, रू0-11/- रूपये प्रति कुन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू0-15/-रूपये प्रति कुन्टल यथावत रहेगा । अन्य प्रदेशों से शीरे पर आयात शुल्क गत वर्ष की भांति रू0-11/- प्रति कुन्टल रहेगा ।

//

6-- शीरा वर्ष 2005--06 की भांति शीरा निधि की धनराशि को अन्तर--ईकाई हस्तान्तरण की सुविधा एक ही संगठन की सभी चीनी मिलों को प्रदान की जाएगी, किन्तु शीरा निधि का अन्तर--ईकाई हस्तान्तरण करने के पूर्व शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त, का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

7-- पेट्रोल में मिलाने के लिये पावर अल्कोहल की आपूर्ति के संबंध में भारत सरकार से हुए समझौते के अनुपालन हेतु सह--आसवनी (पावर अल्कोहल उत्पादन करने वाली) वाली चीनी मिलों में यदि शीरे की कमी होती है और इस संबंध में उनका प्रत्यावेदन प्राप्त होता है, तो उस पर गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

8-- माह जुलाई, 2007 के पश्चात् आरक्षित श्रेणी के शीरे की अविक्रीत मात्रा को फ्री सेल में बेचने की अनुमति के संबंध में यदि किसी इकाई का प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है, तो उस पर शीरे की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

9-- शीरा वर्ष 2006--07 के लिए घोषित नीति अगले शीरा वर्ष 2007--08 में यथावत् तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक की वर्ष 2007--08 के लिए शीरा नीति की घोषणा नही कर दी जाती ।

10-- उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शीरे का निर्यात तथा अन्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में शीरे का आयात इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र पर ही किया जायेगा ।

11-- शीरे पर आधारित इकाईयाँ शीरे का उठान शीरा पासबुक पर ही कर सकेंगी ।

(गजेन्द्र पाल) 21/12/06

शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश ।

सं0-5973-6230/दस--185(1)शीरा--नीति/2006--07 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ ।
2. समस्त संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, जोन्स/चार्जेज, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय ।
5. समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
6. अध्यक्ष,उ0प्र0 चीनी मिल संघ,लखनऊ ।
7. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ ।
8. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ ।
9. अध्यक्ष,उ0प्र0 आसवक संघ,पी0एच0डी0 हाउस, अपोजिट एशियन गेम्स विलेज,नई दिल्ली ।
10. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/प्रभारी आबकारी निरीक्षक, आसवनियाँ ।
11. समस्त आसवनियाँ, उत्तर प्रदेश ।
12. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य, देहरादून ।

(गजेन्द्र पाल) 21/12/06

शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश ।